

गणित किया जाता है कि:-

01. इस बिल का भुगतान पूर्व में नहीं उठाया गया है।
02. बिल का इन्द्राज वेतन पंजिका में कर दिया गया है।
03. वित्त विभाग राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ6(5)एफडी/रुल्स/2009 जयपुर दिनांक-18.10.2019 के अन्तर्गत विद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों को बोनस का भुगतान किया जा रहा है एवं राज्य सरकार के उक्त आदेशों की समस्त शर्तों का पालन किया जा रहा है
04. उक्त समस्त कार्मिकों का ग्रेड पे 4800/- पे-मैट्रिक्स एल-12 या उससे कम है।
05. उक्त समस्त कार्मिक विद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत है।
06. उक्त समस्त कार्मिक दिनांक-01.04.2018 से 31.03.2019 तक असाजपत्रित पदों पर कार्यरत रहें है।
07. उक्त समस्त कार्मिक दिनांक-31.03.2019 को राज्य सेवा में थे तथा दिनांक-01.04.2019 से निरन्तर सेवाओं में है तथा उक्त आदेश जारी होने की तिथि-18.10.2019 को इस कार्यालय में नियमित रूप से पदस्थापित है।
08. सत्र 2018-19 में छः माह से कम अवधि सेवा वाले कार्मिकों का बोनस आहरण नहीं किया जा रहा है एवं छः माह से अधिक परन्तु 01 वर्ष से कम अवधि सेवा वाले कार्मिकों का अनुपातिक बोनस आहरण किया जा रहा है।
09. उक्त समस्त कार्मिकों में से कोई भी कार्मिक फिक्स वेतन पर अथवा अवैतनिक अवकाश/निलम्बित नहीं रहा है।
10. ऐसे कार्मिक जो दिनांक-31.03.2019 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये है अथवा मृत्यु हो गई है ऐसे कार्मिकों का बोनस आहरित नहीं किया जा रहा है।
11. उक्त समस्त कार्मिकों के बैंक खाता संख्या का मिलान कर लिया गया है।
12. बोनस स्वीकृति आदेश की प्रति सलग्न है।